# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
## पीठासीन अधिकारी:– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

...06/2016
...एस. : 2016 / 00797

1. हजारीलाल पुत्र जमनादेवी(माता) पत्नी रामकरण जाति बिश्नोई निवासी 9 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

बनाम —अपीलांट

1. ग्राम पंचायत 5 टीके तहसील रायसिंहनगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 5 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. ईमीलाल पुत्र जमनादेवी(माता) पत्नी रामकरण जाति बिश्नोई निवासी 15 जीबी तहसील श्री बिजयनगर जिला श्रीगंगानगर
3. बीरबलराम पुत्र जमनादेवी(माता) पत्नी रामकरण जाति बिश्नोई निवासी 24 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. शिव प्रताप पुत्र जमनादेवी(माता) पत्नी रामकरण जाति बिश्नोई निवासी 5 एसडी जानकीदास तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
5. भूपराम पुत्र जमनादेवी(माता) पत्नी रामकरण जाति बिश्नोई निवासी 5 एसडी जानकीदास तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
6. रेशी देवी पुत्री जमनादेवी(माता) पत्नी रामकरण जाति बिश्नोई निवासी 5 एसडी जानकीदास तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
7. शारदा देवी पुत्री जमनादेवी(माता) पत्नी रामकरण जाति बिश्नोई निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
8. नीला पुत्री कमलादेवी पत्नी जगदीश जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
9. राकेश पुत्र कमलादेवी पत्नी जगदीश जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
10. नीलम पुत्री रामेश्वरी देवी(माता) पत्नी कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 1 विजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
11. मांगीलाल पुत्र रामेश्वरी देवी(माता) पत्नी कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी 4 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू अभिलेख रायसिंहनगर

—रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति:–

1. श्री सुभाष बिश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री अशोक नायक, वकील रेस्पोंडेंट

### –: निर्णय :–

दिनांक :16.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत 5 टीके इन्तकाल सं. 212 दिनांक 09.12.2015 जिसकी रूह से मृतका जमनादेवी की भूमि का विरासतन इन्तकाल रेस्पोंडेंट सं. 2 ता 11 के पक्ष में किया गया के विरू... कि अपीलार्थी की माता जमना देवी के नाम चक 9 एनपी तहसील रायसिंहनगर ... नं. 172 / 317 के कि.नं. 2 में 0.013है. कि.नं. 3 मे 0.164है. कि... कि.नं. 8 में 0.076है. कुल 0.477है. नहरी खातेदारी भूमि थी ... जीवन काल में दिनांक 24.06.1996 को अपनी इस भूमि की एक वसीयत रजिस्टर्ड ... उपपंजीयक मुकलावा अपीलार्थी के पक्ष में तहरीर तकमील करवाई जमना देवी की ...ांक 15.01.2003 को मृत्यु पश्चात इस वसीयत को छिपाते हुए रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा 09.12.2015 को इन्तकाल सं. 212 तस्दीक कर जमना देवी की पूरी भूमि का वसीयतन इन्तकाल अपीलार्थी के पक्ष में करने की बजाये अपीलार्थी के पक्ष में 1/9 हिस्सा एवं रेस्पोंडेंट सं. 2 ता 11 बहिस्सा बराबर 1/9

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.04 14:44:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रस्सा कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के सर्वथा विपरित होने के कारण काबिले खारिज हैं। विवादग्रस्त इन्तकाल तस्दीक करते समय अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर एक तरफा तौर पर निर्णय पारित किया गया। इन्तकाल ग्राम पंचायत 5 टीके के सर्वसम्मति प्रस्ताव पर तस्दीक करने की बजाये केवल सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया हैं। जो अवैधानिक हैं। अपीलार्थी जमना देवी की मृत्यु के पश्चात वसीयत की रूह से जमना देवी की हिस्से की भूमी पर शान्तिपूर्वक काबिज हो चुका हैं। ग्राम पंचायत 5 टीके के विरास्तन इंतकाल सं. 212 दिनांक 09.12.2015 को अपास्त किया जाकर इनतकाल में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का वसीयतन इन्तकाल अपीलार्थी के पक्ष में पारित करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट(ईमीलाल–बीरबलराम–शिप्रताप–भूपराम–रेशीदेवी–शारदादेवी संतान रामकरण, लीला–राकेश संतान कमलादेवी पुत्री रामकरण पत्नी जगदीश, नीलम–मांगीलाल माता रामेश्वरी देवी पत्नी कृष्णलाल पुत्री रामकरण जाति बिश्नोई) की ओर से शपथ पत्र बावत सहमति का पेश हुआ। शपथ पत्र में रेस्पोंडेंट ने अंकित किया हैं कि जमनादेवी पत्नी राकरण की खातेदारी भूमि चक 9 एनपी के खाता सं. 14 मु.नं. 47 प.नं. 172/317 की 0.477 है. विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो चुकी हैं। जमना देवी ने हजारीलाल पुत्र रामकरण को उक्त भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत करवा दी थी। अपील स्वीकार कर विरास्तन इन्तकाल खारिज कर यदि हजारीलाल के नाम से वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं तो उन्हें कोई उजर व एतराज नहीं हैं।

बहस अपीलार्थी सुनी गयी। अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि उन्हें जरिए वसीयत प्राप्त हुई थी। परन्तु रेस्पों सं. 1 द्वारा भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज कर दिया गया हैं। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल को निरस्त कर विवादित भूमि का इंतकाल अपीलार्थी के नाम से वसीयत के आधार पर दर्ज करने के आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस अपीलार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति इंतकाल चक 9 एनपी इ.सं. 212 का अवलोकन किया। जिसमें भूमि जमना देवी के फौत होने पर विरास्तन अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट के पक्ष में दर्ज की गयी हैं। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत चित्रप्रति वसीयत का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत के रिकार्ड बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर(05.06.2015 से 20.07.2017) का अवलोकन किया। रिकार्ड अवलोकन में पाया कि दिनांक 09.12.2015 को पारित इंतकाल सं. 212 के संबंध में बैठक कार्यवाही रजिस्टर में कोई प्रविष्ठि अंकित नहीं हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन इंतकाल विधि अनुसार पारित नहीं किया गया हैं। रेस्पोंडेंट की ओर से अपील स्वीकार करने बावत शपथ पत्र भी पेश किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट एंव प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं, तथा अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत 5 टीके के इंतकाल सं. 212 स्वीकृत दिनांक 09.12.2015 को निरस्त किया जाता हैं। तथा प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर इंतकाल पारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दस्तावेजों की समुचित जांच कर समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधिवत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.04 14:44:19 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner